

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यादास भवन, सेक्टर--19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seiaacg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 16/01/2020 को संपन्न 305वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

---00---

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 305वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 16/01/2020 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद राहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.इन्दुवाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक रिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: दिनांक 09/12/2019, 10/12/2019, 11/12/2019 एवं 12/12/2019 को संपन्न क्रमशः 301वीं, 302वीं, 303वीं एवं 304वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 301वीं, 302वीं, 303वीं एवं 304वीं बैठक क्रमशः दिनांक 09/12/2019, 10/12/2019, 11/12/2019 एवं 12/12/2019 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।



1. मेसर्स श्री सुनिल कुमार पटेल (अमडीहा सेण्ड माईन, ग्राम-बलुवाबहार, तहसील-फरसाबहार, जिला-जशपुर), बोरे रायगढ़, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1055)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 130533 / 2019, दिनांक 12/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-बलुवाबहार, तहसील-फरसाबहार, जिला-जशपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन ईब नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-60,000 धनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेटस (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरान्त फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिशेषित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफर्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनीफिशिएशन लिमिटेड, ग्राम-घुटकु, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 1057 (पुराना 235))

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ सीएनआईएन/ 129832/ 2019, दिनांक 23/12/2019 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन वगैरह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-घुटकु, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 2885, 2897, 2903, 2904, 2913, 2915-2921, 2928, 2926/3, 2926/4, 2926/5, 2930, 3000/1, 3000/2, 2999, 3002/1, 3002/2, 2982/1, 2887/88, 2889/2, 2889/3 एवं 2874 में कोल वॉशरी (थ्रु पुट) क्षमता - 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना हेतु टीओआर वगैरह आवेदन किया गया था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/03/2016 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बी-1 कैटेगरी का होने के कारण स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए रिपोर्ट दिनांक 10/11/2016 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2017 द्वारा ग्राम-घुटकु, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 2885, 2897, 2903, 2904, 2913, 2915-2921, 2928, 2926/3, 2926/4, 2926/5, 2928, 2930, 3000/1, 3000/2, 2999, 3002/1, 3002/2, 2982/1, 2887/88, 2889/2 एवं 2874 में कोल वॉशरी क्षमता - 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष (डेट टाईप कोल वॉशरी), कुल क्षेत्रफल 14.38 एकड़ हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. औद्योगिक प्रयोजन के लिए आवश्यक जल के संग्रहण हेतु प्रस्तावित रेन वॉटर कलेक्शन पॉण्ड की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 के आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री हैप्पी अग्रवाल (टांगरगांव सेण्ड माईन, ग्राम-टांगरगांव, तहसील-कांसाबेल, जिला-जशपुर), अम्बिकापुर रोड, पत्थलगांव, जिला-जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1058)

ऑनलाईन आवेदन प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 131057 / 2019, दिनांक 13/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गैण खनिज) है। यह खदान ग्राम-टांगरगांव, तहसील-कांसाबेल, जिला-जशपुर स्थित पार्ट ऑफ रूसरा क्रमांक 628, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मैने नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफस सहित जानकारी / दरतावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से रांचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए

4. मेसर्स श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (प्रतापगढ़ सेण्ड माईन, ग्राम-प्रतापगढ़, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा), खरसिया नाका चौक, तहसील- अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1059)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 131217/2019, दिनांक 13/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-प्रतापगढ़, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा स्थित पार्सल ऑफ खसरा क्रमांक 1122, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर प्रस्तावित है। उत्खनन मापद नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर गिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। गिड मैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण रक्षाघात निर्धारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण रक्षाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की दारुदिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुरार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त रागरत सुरांगत जानकारी / प्रस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स मेडेसरा लाईम स्टोन माईन (प्रो.-श्री संजय अग्रवाल), ग्राम-मेडेसरा, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 735D)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 28527 / 2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48358 / 2018, दिनांक 13/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-मेडेसरा, तहसील-धमधा, जिला दुर्ग, स्थित खसरा क्रमांक 1015 एवं 1016, कुल लीज क्षेत्र 3.97 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 25,500 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उत्खनन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई, जिसमें टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई: -

1. ग्राम पंचायत मेडेसरा द्वारा दिनांक 11/04/2002 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वितीय स्कीम ऑफ माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के ज्ञापन क्रमांक 839 / डीआरजी / एलएसटी / एमपीएलएन / एनजीपी, दिनांक 22/08/2013 जो वर्ष अवधि 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।

3. कार्यालय कलेक्टर (स्थानिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 30/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 05 खदानें रकबा 84.11 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. निकटतम आवादी ग्राम-नांदेनी-खुंदनी 0.92 कि.मी. एवं शहर धगधा 92 कि.मी., स्कूल ग्राम-नांदेनी-खुंदनी 1.46 कि.मी., अस्पताल ग्राम नांदेनी खुंदनी 1.5 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन भिलाई पॉवर हाउस लगभग 19.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.92 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.3 कि.मी. दूर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली लॉयुटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. लीज डीड श्री संजय अग्रवाल के नाम पर है, जो 30 वर्षों के लिए दिनांक 24/07/2003 से 23/07/2033 तक की अवधि हेतु है।
7. जियोलॉजिकल रिजर्व 10,20,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व कुल 7,74,500 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। अधिकतम गहराई 20 मीटर प्रस्तावित है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में 11 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। वेज की अल्तीमेट चौड़ाई 3 मीटर एवं ऊंचाई 3 मीटर होगी। ड्रिलिंग हेतु जेक हेगर ड्रिल का उपयोग एवं ब्लारिंग किया जाता है। जल उपभोग की मात्रा 7 किलोलीटर प्रतिदिन (इस्त संप्रेशन किलो लीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 3 किलोलीटर प्रतिदिन) है। जल का स्रोत बोरवेल है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जात है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। डिगट वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2015-16	23,420
2016-17	19,210
2017-18 (मई 2017 से उत्पादन बंद है)	750

उत्खनन की वर्षवार योजना
(द्वितीय स्कीम ऑफ माईनिंग प्लान अनुसार)

वर्ष	उत्खनन ROM (टन)
2013-14	25,500
2014-15	25,500
2015-16	25,500
2016-17	25,500
2017-18	25,500

नोट: तालिका में दशगलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

५

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इत खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति अपर स्पष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हीयरमेंट इम्पेक्ट अरोसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हीयरमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुरार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरार पत्र प्रेषित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

- i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी -** मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर रातही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ₂ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है; परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

6. मेसर्स श्री संजय अग्रवाल (नंदनी-खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 735B)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 28625 / 2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48408 / 2018, दिनांक 14/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संयोजित चूना उत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खरारा क्रमांक 447 एवं 452, कुल लीज क्षेत्र 2.03 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता -9,000 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत नंदनी-खुंदनी द्वारा दिनांक 20/04/2001 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एंड प्रोग्रेसिग गार्डन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एट प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 316 / दुर्ग / वूप / खथे / नाग / 2016 रायपुर दिनांक 12/08/2016 जो वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 601 दिनांक 30/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 10 खदानें रकबा 62.58 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. निकटतम रेलवे स्टेशन भिलाई पॉवर हाउस 22.2 कि.मी. एवं निकटतम शहर दुर्ग 23.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. लीज डीड श्री संजय अग्रवाल के नाम पर है, जो 20 वर्षों के लिए दिनांक 05/01/1995 से 04/01/2015 तक की अवधि हेतु थी।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिजपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु फूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया है।
8. जियोलॉजिकल रिजर्व 7.32.500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,60,500 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 75 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कार्टर विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में 8 मीटर गहराई तक उत्खनन किया

गया है। उत्खनन की अंतिम गहराई 16 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। ड्रिलिंग हेतु जेक हेमर ड्रिल का उपयोग एवं ब्यारिस्टिंग किया जाता है। जल उपभोग की मात्रा 5 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्लेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट 2 किलोलीटर प्रति दिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 1 किलोलीटर प्रतिदिन) है। जल का स्रोत बोरवेल है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 700 गग वृक्षारोपण किया गया है। विगत वर्षों 8 वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2012-13	2,340
2013-14	9,740
2014-15	9,800
2015-16	3,800
2016-17	3,215
मई 2017 तक	40

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017-2018	9,000
2018-2019	9,000
कुल	18,000

- 9 पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति नहीं की गई है। स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हायरोमेंट इम्पैक्ट अरोसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नशस्ती, प्रस्तुत ज्ञापनकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एराओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (श्री ए. के. वर्मा), ग्राम-पथरिया, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 697)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर एसआईए / सीजी / एमआईएन / 24919 / 2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एराआईए / सीजी / एमआईएन / 48404 / 2018, दिनांक 14/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-पथरिया, तहसील-धमधा, जिला दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 751, 752, 753, 754, 755, 756 एवं 757, कुल लीज क्षेत्र 3.47 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 9,000 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 257वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:

1. ग्राम पंचायत पथरिया (राह.) द्वारा दिनांक 07/02/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है;
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईनिंग क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग/ चूप/ खद्यो-865/ नग/11-रायपुर दिनांक 10/08/2016 (अवधि 2016-17 से 2018-19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 30/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 12 खदानें रकबा 87.09 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. निकटतम आवादी ग्राम नंदनी-खुंदनी 0.94 कि.मी., शहर धमधा 8.2 कि.मी., प्राथमिक स्कूल ग्राम-नंदनी-खुंदनी लगभग 1.3 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम-नंदनी-खुंदनी लगभग 1.18 कि.मी. की दूरी में स्थित है। राज्यमार्ग 1.87 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.17 कि.मी. दूर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. खनिज गतिविधियों के संचालन हेतु लीज लीड श्री ए.के. वर्मा के नाम पर है, जो 20 वर्षों के लिए दिनांक 02/10/2003 से 01/10/2023 तक की अवधि हेतु है।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिजपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया है।
8. त्रियोलॉजिकल रिजर्व 9,56,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 4,07,050 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.59 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन ओपन कार्ट मैनुवल विधि से किया जाता है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैनरड्रिल का उपयोग किया जाता है। बनारिस्टिंग किया जाता है। वर्तमान में 8 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 22 मीटर होगी। तपरी गिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेच की अल्टिमेट ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 45 वर्ष है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 6 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेसन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं धरेलू उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती प्रतिदिन है। जल का स्रोत भू-जल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत 5 वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2012-13	27,000	8,500

2013-14	27,000	16,400
2014-15	Actual	4,900
2015-16	Actual	8,650
2016-17	9,000	6,500

उत्खनन की प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)
2017-18	9,000
2018-19	9,000
कुल	18,000

10. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा अधिसूचना का आ 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हायरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल मईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / सवालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर रुतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों

की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरांगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (श्री ए. के. वमी), ग्राम-पथरिया, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 698)**

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 25048 / 2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48449 / 2018, दिनांक 14/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संवालिता चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-पथरिया, तहसील धमधा, जिला-दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 751 एवं 752, कुल लीज क्षेत्र 2.16 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 9,000 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उत्खनन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत पथरिया (राह.) द्वारा दिनांक 07/02/2017 को जारी अनाजति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रगारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग / चूप / खयो-314 / नाग / 12-रायपुर दिनांक 09/08/2016 (अवधि 2016-17 से 2018-19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 608 दिनांक 30/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 10 खदानें रकबा 66.22 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।

4. समीपस्थ आबादी ग्राम-नंदनी-खुंदनी 0.9 कि.मी. एवं शहर धम्धा 8.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्राथमिक स्कूल ग्राम-नंदनी-खुंदनी लगभग 1.34 कि.मी. एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम-नंदनी-खुंदनी लगभग 1.25 कि.मी. में स्थित है। राज्यमार्ग 1.95 कि.मी. है। शिवनाथ नदी 3.24 कि.मी. एवं नाला 75 मीटर दूरी पर स्थित है।
5. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने बताया गया है।
6. लीज डीड श्री ए.के. वर्मा के नाम पर है, जो 20 वर्षों अर्थात् 02/04/1994 से 01/04/2014 तक की अवधि हेतु थी।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया है।
8. जियोलॉजिकल रिजर्व 7,92,000 टन एवं भाईनेबल रिजर्व 3,76,200 टन हैं। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.42 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन ओपन कास्ट नैनुवल विधि से किया जाता है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमरड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्नास्टिंग किया जाता है। वर्तमान में 8 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 18 मीटर होगी। उपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की अल्टिगोट ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। खदान की संघापित आयु 42 वर्ष होगी। विभिन्न खान प्रक्रियाओं हेतु 6 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्लेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है, जिसका स्रोत भू-जल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत 5 वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2012-13	18,900	5,750
2013-14	20,250	4,550
2014-15	Actual	4,900
2015-16	Actual	3,400
2016-17	9,000	7,600

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)
2017-18	9,000
2018-19	9,000
कुल	18,000

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इरा खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति ऊपर स्थष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/02/2019 द्वारा अधिरूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई रहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (राधापुर सेण्ड माईन, ग्राम-राधापुर, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा), खरसिया नाका चौक, तहसील- अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1080)

ऑनलाईन आवेदन प्रोजेक्ट नम्बर एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 131410/2019, दिनांक 14/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-राधापुर, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा स्थित पार्ट ऑफ खरारा क्रमांक 285, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-77,904 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार चिन्तन उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 विन्दुओं का ग्रिड बनकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु दाय से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एन., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर तराकी वारतविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वारतविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही धृशारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्ण से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राम्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स हर हर महादेव कन्स्ट्रक्शन (प्रो.- श्री भूपेन्द्र सिंह विश्वकर्मा), ग्राम-माकड़ी सिंगराय, तहसील-कांकेर, जिला-उ.ब. कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 911ए)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38080/ 2019, दिनांक 27/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/07/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 14/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तापित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-माकड़ी सिंगराय, तहसील-कांकेर, जिला-उ.ब. कांकेर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 129, कुल क्षेत्रफल-3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-17,160 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनुरोध प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 के आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स सहगांव लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्रीमती रत्ना पाण्डे), ग्राम-सहगांव, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 710)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 25439 / 2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48477 / 2018,

दिनांक 15/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से रांचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम-सहगांव, तहसील-धन्धा, जिला दुर्ग, स्थित खरारा क्रमांक 324/1, 324/2, 324/3 एवं 326/2, कुल लीज क्षेत्र 1.30 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 9,000 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई, जिसमें लीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत पथरिया द्वारा दिनांक 05/04/1995 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. मॉडिफिकेशन ऑफ गार्डनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो लव खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के शापन क्रमांक दुर्ग/चूप/खयो-679/2016/रायपुर दिनांक 11/08/2016 (अवधि 2016-17 से 2018-19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 910 दिनांक 24/06/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 600 मीटर परिधि में कुल 15 खदानें सक्रिय 75.20 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. रागीपरथ अबादी ग्राम-सहगांव 370 मीटर एवं शहर धन्धा 5.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्राथमिक स्कूल ग्राम-सहगांव लगभग 370 मीटर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम-सहगांव लगभग 390 मीटर पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन गिलाई पॉवर हाउस लगभग 20.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शिवनाथ नदी 480 मीटर कि.मी. एवं नाला 775 मीटर दूरी पर स्थित है।
5. 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकल पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा बताया गया है।
6. लीज डीड श्रीमती रत्ना पाण्डे के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 29/07/2002 से 28/07/2022 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1283/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिज टैक्स की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया है।
8. जियोलॉजिकल रिजर्व 3,60,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,43,687 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.42 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट रोगी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। भू-भाग के 9,000 वर्गमीटर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 10 मीटर है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। खदान की सभावित आयु 17 वर्ष है। ऊपरी निट्टी की मात्रा 1,350 वर्गमीटर है। बेंच की अंतिम ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर होगी। 5-6 किलो लीटर प्रतिदिन जल की खपत होती है। जल की आपूर्ति ट्यूब वेल से की जाती है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लारिंग किया जाता है। खदान में वायु

प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2004	800
2005	3,110
2006	9,550
2007	14,950
2008	21,750
2009	2,150
2010	3,155.6
2011	5,280
2012	10,860
2013	5,680
2014	1,430
2015	580
2016	2,460
2017 मई तक	1,030

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2017-18	9,000
2018-19	9,000
कुल	29,210

12 पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण - पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हीयरमेंट इम्पैक्ट असोरामेंट रिपोर्ट, इन्व्हीयरमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना रान्गति / संचालन रान्गति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.₁₀ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम._{2.5} 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है: परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उज्ज्वल रामरत सुरांगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स सहगांव लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्रीमती लालमति सिंह), ग्राम-सहगांव, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 696)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नंबर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 24915/2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नंबर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48466 / 2018, दिनांक 15/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित दूंगा पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम-सहगांव, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 255, 256, 257/1,2,3, 258, 259, 260/1,2,3, 261, 262, 263, 269, 275 एवं 276, कुल लीज क्षेत्र 482 हेक्टेयर में है। खदान की अपेक्षित उत्खनन क्षमता - 81,250 टन प्रतिवर्ष एवं क्रशिंग क्षमता - 81,250 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने

के कारण उत्खनन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत पथरिया (सह.) द्वारा दिनांक 22/05/2007 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉडिफिकेशन इन एप्लूड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन ब्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग/ वूप/ खयो-1096/ 2017, रायपुर दिनांक 06/06/2017 जो वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 856 दिनांक 19/06/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 10 खदानें रकबा 25.55 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम-सहगांव 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्राथमिक स्कूल ग्राम-सहगांव 150 मीटर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम-सहगांव 1.8 कि.मी. में स्थित है। रेलवे स्टेशन भिलाई पॉवर हाउस 23 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 870 मीटर में स्थित है। शिवनाथ नदी 225 मीटर एवं नाला 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. पूर्व में खनिज गतिविधियों के संचालन हेतु श्री राजेन्द्र सिंह के नाम पर एल.ओ. आई. दिनांक 27/03/2010 को जारी किया गया था। माईनिंग प्लान श्री राजेन्द्र सिंह के नाम पर दिनांक 30/12/2010 को अनुमोदित किया गया। लीज स्व. श्री राजेन्द्र सिंह की धर्म पत्नी श्रीमती लालमति सिंह के नाम पर दिनांक 29/05/2012 को हस्तांतरित हुई। लीज डीड 30 वर्षों के लिए दिनांक 29/05/2012 से 28/05/2042 तक की अवधि हेतु है।
7. जियोलॉजिकल रिजर्व 24,58,125 एवं माईनेबल रिजर्व 19,08,125 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। क्रशर युनिट (100 TPD) 0.26 हेक्टेयर पर स्थित है। क्रशर में डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था एवं क्रशर को फव्वड़े किया गया है। वर्तमान में गहराई 8 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अंतिम गहराई 30 मीटर होगी। अल्टिमेट बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 4.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 31 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 853 किलो लीटर प्रतिदिन है। जल का स्रोत बोरवेल/हैंडपंप है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षा का जल संग्रहित करने हेतु जल संग्रहण संरचना (तालाब) निर्मित की जाएगी। विगत 5 वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2012-13	निल	निल
2013-14	7,500	निल
2014-15	7,500	निल
2015-16	15,000	11,420
2016-17	30,000	7,400
कुल	60,000	18,820

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)
2017-18	50,825
2018-19	77,187
2019-20	73,150
2020-21	51,062
2021-22	41,562
कुल	2,93,786

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति ऊपर स्पष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. अ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्फॉर्मेशन इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पैधानिक कार्यवाही करके एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण -

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एरओ₁₀ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एगओ_{ल्क} 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर जाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, टन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारों / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स आनंद इंटरप्राइजेस (सहगांव लाईम स्टोन माईन), ग्राम-सहगांव, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 567)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 62957 / 2017, दिनांक 04/03/2017 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48478 / 2017, दिनांक 15/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 07/10/2014 के पूर्व से रांचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 384, 375, 381, 382 एवं 383, ग्राम-सहगांव, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 3.237 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 40,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 225वीं बैठक दिनांक 15/05/2017 को सुनवाई की गई, जिसमें टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत पथरिया द्वारा दिनांक 14/08/1995 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक दुर्ग/ चूप/ खयो-375/ नाग/ 2016/15-रायपुर दिनांक 09/08/2016 (अवधि 2016-17 से 2020-21 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित

मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन्स क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के पत्र क्रमांक 2191 दिनांक 17/01/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 13 खदानें रकबा 73.28 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. निकटतम शहर दुर्ग 25.4 किमी. एवं रेलवे स्टेशन भिलाई नगर लगभग 22.67 कि.मी की दूरी पर स्थित है।
5. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
6. लीज डीड श्री आनंद इंटरप्राइजेस के नाम पर है, जो 20 वर्षों अर्थात् 10/10/1996 से 09/10/2016 तक की अवधि हेतु थी।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के पत्र क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया है।
8. माईनेबल रिजर्व 1438795 टन है। लीज क्षेत्र में पिट 01 एवं पिट 02 कुल दो पिट हैं। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन एंभी मेकेनाइज्ड ओपन कास्ट विधि से किया जाता है ड्रिलिंग हेतु जोक हैमरड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लारिस्टिंग किया जाता है बेंच की अंतिम (अल्टिमेट) ऊंचाई 3.0 मीटर एवं चौड़ाई 2.0 मीटर होगी। पिट 01 में 11 मीटर गहराई तक एवं पिट 02 में 29 मीटर गहराई तक उत्खनन हो गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 33 मीटर होगी। दिग्ग्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 06 कि.ली./दिन (डिस्ट सप्लेशन 03 कि.ली./दिन, प्लेटेशन 02 कि.ली./दिन एवं धरेलु उपयोग हेतु 01 कि.ली./दिन) जल की आवश्यकता होती है, जिसका स्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। पर्यावरण उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

05 वर्षों की उत्खनन योजना

वर्ष	संभावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता (टन)	रिजेक्ट (टन)
2016-2017	18,107	40000	1,811
2017-2018	18,163	40000	1,816
2018-2019	18,034	40000	1,803
2019-2020	17,966	40000	1,797
2020-2021	18,012	40000	1,801

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

9. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण :- पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., उत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 21/08/2017 द्वारा अधिसूचना का अं. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वेंटॉरीरोमेंट इम्पैक्ट

अल्सेसमेंट रिपोर्ट, इन्ड्रॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुगवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

- i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी –** मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर रातही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरांगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स हेमंत कुमार साहू (नंदनी-खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 526)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन /60450/2016, दिनांक 16/11/2016 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। अंततः में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48481 / 2017, दिनांक 16/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान खस्ता नं. 1898 (पार्ट), 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 (पार्ट), 1905 एवं 1906 (पार्ट), ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-घमघा, जिला-दुम, कुल लीज क्षेत्र 1.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 25,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:

1. ग्राम पंचायत नंदनी खुंदनी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुरार आवेदित चूना पत्थर खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य 10 चूना पत्थर खदानों कुल रकबा 68.26 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है।
3. समीपस्थ आबादी ग्राम-नंदनी-खुंदनी 01 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन गिलाई जॉपर हॉउस लगभग 20.3 कि.मी. एवं निकटतम शहर दुम लगभग 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 28 कि.मी. दूर है।
4. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्तीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने अथवा होने संबंधी जानकारी नहीं दी गई है।
5. लीज डीड श्री हेमंत कुमार साहू के नाम पर है, जो 50 वर्षों अर्थात् 07/05/1999 से 06/05/2049 तक की अवधि हेतु है।
6. कुल रिजर्व 372150 टन, ब्लॉक आउट रिसोर्स 2,34,050 टन एवं गार्नेबज रिजर्व 138100 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कार्ट विधि से सभी नेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमरड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है; बेंच की ऊंचाई 3.0 मीटर है। उत्खनन की कुल गहराई 26 मीटर होगी। वर्तमान में एक स्थान पर 23 मीटर की गहराई तक खुदाई हुई है। जल उपभोग को मात्र 05 कि.ली./दिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्लेशन 03 कि.ली./दिन, प्लांटेशन 01 कि.ली./दिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 01 कि.ली./दिन) है। जल का स्रोत घाट टैंकर एवं बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है :

आगामी वर्षों के लिए उत्खनन की योजना

वर्ष	आयतन (घनमीटर)	उत्पादन क्षमता (टन)	उत्पादन क्षमता (टन)
2016-2017	1800	4500	20250
	6300	15750	
2017-2018	1800	4500	21000
	6600	16500	
2018-2019	4800	12000	24750

	5100	12750	
कुल	28400	66000	66000

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/07/2017 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

रागिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एराओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल सत्रों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को अगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

15. **मेसर्स नदिनी-खुदिनी लाईम स्टोन माईन (श्री संतोष मिनरल्स), ग्राम-नदिनी-खुदिनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 534)**

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 61154 / 2016, दिनांक 21 / 12 / 2016 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48513 / 2016, दिनांक 16 / 12 / 2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से रांचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खानेज) है। खदान खरारा नं. 443, 444 एवं 448, ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला दुर्ग, लुल लीज क्षेत्र 3.11 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 9,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 283वीं बैठक दिनांक 14 / 06 / 2019 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति आई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1051 / खनि. लि. / खनिज / 2018 दुर्ग, दिनांक 02 / 11 / 2018 द्वारा जारी वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक के वर्षवार उत्खनित मात्रा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उत्खनन निरंक बताया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन का प्रकरण नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1030(अ) दिनांक 08 / 03 / 2018 तथा ओ.एम. दिनांक 15 / 03 / 2018 एवं 16 / 03 / 2018 अनुसार निर्धारित समयवधि में एरा.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाना बताया गया है।
3. ग्राम पंचायत नंदनी-खुंदनी द्वारा दिनांक 11 / 02 / 2009 को जारी अनपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. सैंडिफिकेशन ऑफ माइनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खन ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक दुर्ग/चूप/खयो-439 / नाग / 04-रायपुर दिनांक 11 / 08 / 2016 (अवधि 2016-17 से 2019-20 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
5. समीपस्थ आबादी ग्राम-नंदनी-खुंदनी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-नंदनी-खुंदनी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 06 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.2 कि.मी. है। शिवनाथ नदी 01 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
6. 10 कि.मी. की जराये में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
7. लीज डीड श्री संगैष कुमार के नाम पर था। श्री संतोष पांडे के देहवारान हो जाने कारण उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना पांडे के नाम पर लीज के हस्तारण हेतु आवेदन किया गया है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 11 / 10 / 1995 से 10 / 10 / 2015 तक की अवधि हेतु श्री कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263 दिनांक 05 / 10 / 2015 द्वारा खान एवं खनिज (दिकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के अधीन खनिज अथवा वृद्धि बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।



8. गियोलॉजिकल रिजर्व 9,53,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 93,385 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में भू-भाग के 2.02 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन हुआ है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 14 मीटर है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। बेय की ऊंचाई 3.0 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। विगत पांच वर्षों में उत्खनित खनिज की मात्रा 33915 मीट्रिक टन है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैनर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लारिंग किया जाता है। जल की मात्रा 04 कि.ली./दिन है एवं धरेलु उपयोग हेतु 02 कि.ली./दिन जल की आवश्यकता होती है, जिसका स्रोत ट्यूबवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2015-2016	Actual			-
2016-2017	1,200	3.0	3,600	9,000
2017-2018	1,200	3.0	3,600	9,000
2018-2019	1,200	3.0	3,600	9,000
2019-2020	1,200	3.0	3,600	9,000

एराईए सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान अगदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुगन्ध सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1 ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी -** मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है :
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ₂ 14.2 से 19.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day

time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त रागरत सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स नंदनी-खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा), ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 7351)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 28529 / 2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48532 / 2018, दिनांक 16/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1894, 1908 एवं 1911(पी), कुल क्षेत्रफल 4.55 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 40,000 टन प्रतिवर्ष एवं क्रशिंग क्षमता 40,000 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् विना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उत्खनन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई, जिसमें टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत नंदनी-खुंदनी द्वारा दिनांक 18/02/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिन्यूबल ऑफ माईनिंग प्लान एल.ओ.आर. प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान निदेशक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के ज्ञापन क्रमांक डीआरजी / एलएसटी / एमपीएलएन-07/नागपुर दिनांक 14/06/2013 जो वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2289 दिनांक 28/01/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 11 खदानें रकबा 68.10 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम-नंदनी-खुंदनी 700 मीटर एवं शहर दुर्ग 28 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम-नंदनी-खुंदनी 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल

ग्राम अहिगारा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 कि.मी. एवं राज्यगार्ग 2.15 कि.मी है। शिवनाथ नदी 3.45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. लीज डीड श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा के नाम पर है। पूर्व में लीज डीड 20 वर्षों के लिए दिनांक 14/06/1993 से 13/06/2013 तक की अवधि हेतु थी।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया है।
8. जियोलॉजिकल रिजर्व 8,43,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,42,500 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.47 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। अपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 16 मीटर एवं अंतिम गहराई 27 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 7 किलो लीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्लेशन 3 किलो लीटर प्रतिदिन, प्लाटेशन 2 किलो लीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 किलो लीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है। जल का स्रोत बोस्वेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। क्रशर की स्थापना की गई है। क्रशर का क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है तथा क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	वास्तविक उत्खनन क्षमता (टन)
2014-15	23,052
2015-16	15,525
2016-17 (फरवरी, 2017 से बंद है)	22,500

उत्खनन की वर्षवार योजना

(रिन्युबल ऑफ माईनिंग एलांग विथ प्रोग्रेसिव क्लोजर प्लान अनुसार)

वर्ष	उत्खनन क्षमता (टन)
2013-14	22,500
2014-15	22,500
2015-16	24,750
2016-17	32,250

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति ऊपर स्पष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुन्वाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संयोजन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा दस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी -** मॉनिटरिंग कार्य अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है; 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर रातही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी एम_{2.5} 248 से 461 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 1127 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 139 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ₂ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

17. मेसर्स नंदनी-खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा), ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 70)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 31798 / 2016, दिनांक 15/10/2016 द्वारा टीओआर, हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48530 / 2015, दिनांक 16/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 07/10/2014 के पूर्व से संयोजित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है, खदान खसरा नं. 1909(पी), ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 1.92 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 40,500 नीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 227वीं बैठक दिनांक 13/06/2017 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत नंदनी-खुंदनी द्वारा दिनांक 18/02/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है;
2. स्कैम ऑफ माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक डीआरजी/एलएसटी/एमपीएलएन 608/ नागपुर दिनांक 07/04/2014 (अवधि 2013-14 से 2017-18 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय फ्लेक्चर (खानेज शाखा), जिला-दुर्ग के पत्र क्रमांक 2288 दिनांक 28/01/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 11 खदानें रकया 70.71 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं। इनमें से सभी खदानों की लीज 09/09/2013 के पूर्व की स्वीकृत है।
4. रांगेपरथ आबादी नंदनी-खुंदनी 750 मीटर की दूरी पर स्थित है। रकूल एवं अस्थितल ग्राम-अहिंवारा 05 कि.मी. तथा निकटतम रेलवे स्टेशन भिलाई पॉवर हाउस लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. है। शिवनाथ नदी 3.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
5. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
6. लीज डीड श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 07/07/1998 से 06/07/2018 तक की अवधि हेतु है।
7. ब्लॉक आउट रिजर्व 1,35,750 टन एवं माईनेबल रिजर्व 5,79,050 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कारस्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उपरी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर है। वर्तमान में उत्खनन की औसत गहराई 27 मीटर है। अल्टीमेट उत्खनन की गहराई 27 मीटर होगी; अल्टीमेट बेंच की ऊंचाई 6.0 मीटर एवं चौड़ाई 4.0 मीटर है। विगत पांच वर्षों में उत्खनित खनिज की मात्रा 1,56,164 टन है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लॉस्टिंग किया जाता है। विभिन्न खनन

प्रक्रियाओं हेतु 07 कि.ली./दिन (डिस्ट सप्लेशन 03 कि.ली./दिन, प्लांटेशन 02 कि.ली./दिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 02 कि.ली./दिन) जल की आवश्यकता होती है, जिसका स्रोत बोखेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है :-

उत्खनन की योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	बेच उंचाई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2013-2014	2,700	6.0	16,200	40,500	26,701
2014-2015	1,500	6.0	9,000	22,500	32,903
	1,200	6.0	7,200	18,000	
2015-2016	2,700	6.0	16,200	40,500	28,775
2016-2017	1,800	6.0	10,800	27,000	30,375
	1,800	6.0	5,400	13,500	(जनवरी 2017 तक)
2017-2018	2,700	6.0	16,200	40,500	फरवरी 2017 से उत्खनन बंद है।
कुल	9,600	-	57,600	2,02,500	

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण :- पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2017 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्फॉर्मेशन इम्प्लेंट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन मनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिशुद्ध वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुरार पी.एन.₂₅ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6

माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स श्री दीपक गुप्ता (अमेठी सेण्ड माईन, ग्राम-अमेठी, तहसील व, जिला-धमतरी), ब्राम्हण पारा, वार्ड नं. 10, गोबरा, नवापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1068)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 132044/2019, दिनांक 17/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-अमेठी, तहसील धमतरी, जिला-धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 364, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-99,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वारतविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ़) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए :

19. मेसर्स श्री चेतन आनंद चौधरी (कोटरासरार सेण्ड माईन, ग्राम-कोटरासरार, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव), बीएनसी मिल कॉलोनी, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1037)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 127142/2019, दिनांक 28/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम कोटरासरार, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 816, कुल लीज क्षेत्र 2.6 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-52,000 घन्मीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रीड बनकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रीड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रीड मैप में टेम्पररी बेच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ़ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वारतविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वारतविक गहराई हेतु मंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के धालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा खदान की चिह्नंकित/सीमांकित कर घोषित संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरांगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

20. मेसर्स मेडेसरा लाईम स्टोन माईन (प्रो.-श्रीमती अल्पा श्रीवास्तव), ग्राम-मेडेसरा, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 730)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 28182 / 2018, दिनांक 11/07/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48549 / 2018, दिनांक 18/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम-मेडेसरा, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1002/1, 1002/2, 1002/4, 1002/3, 1003/1, 1003/5, 1003/2, 1003/6, 1004, 1005 एवं 1006/2, कुल लीज क्षेत्र 8.20 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन एवं क्रशिंग क्षमता - 1,68,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 259वीं बैठक दिनांक 26/10/2018 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत मेडेसरा द्वारा दिनांक 22/07/2009 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लान एलांगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय

खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक दुर्ग/ चूप/ खयो-1170/ नाग/ 2016-42/ रायपुर दिनांक 23/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला दुर्ग के पत्र क्रमांक 1632/खनिज 2016 दुर्ग, दिनांक 24/11/2016 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 04 खदानें रकम 61.38 हेक्टेयर स्वीकृत / पिछमान है।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम-मेडेसरा 1.2 कि.मी की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-मेडेसरा 1.2 कि.मी की दूरी पर स्थित है। शिवनाथ नदी 2.8 कि.मी. दूरी पर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्तीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉइन्टुटड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. एल.ओ.आई, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-7/2012/12 दिनांक 14/03/2016 के द्वारा माइनिंग प्लान तैयार कराये जाने एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने के लिए जारी की गई है।
7. जिथोलॉजिकल रिजर्व 5.837 मिलियन टन एवं माइनेबल रिजर्व 1.427 मिलियन टन बताया गया है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ जाएगा। ओपन कारस्ट सेमी गेर्केनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। क्रशर का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर होगी, ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लारिस्टिंग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। लगभग 10 किलो लीटर प्रतिदिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्लेशन, प्लांटेशन, घरेलू उपयोग) जल की खपत होगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं दूधारोपण किया जाएगा। प्रस्तावित उत्खनन की वर्षवार योजना का विवरण निम्नांगुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम वर्ष	18,000
द्वितीय वर्ष	22,400
तृतीय वर्ष	26,800
चतुर्थ वर्ष	44,800
पंचम वर्ष	67,200
कुल	1,79,200

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. अ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का रेटैण्डर्ड टीओआर (लोक सुगवाई सहित) नॉन कोल गार्डनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग पारेणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुरार है: परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

पारियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

21. मेसर्स रूपरेला ब्रदर्स लाईम स्टोन माईन, ग्राम-सहगांव, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 694)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 74407 / 2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48624 / 2018, दिनांक 18/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम सहगांव, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 154/1(पी), कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-16,732.5 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उत्खनन की

श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत ग्राम-पथरिया द्वारा दिनांक 25/09/2003 को जारी अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिकेशन माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईनिंग क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 1097 /डीआरजी /एलएस्टी /एमपीएलएन /2017 रायपुर दिनांक 27/06/2017 जो वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 186 दिनांक 19/04/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 15 खदानें एकत्र 83.98 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम-सहगांव 01 कि.मी. तथा शहर भिलाई 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्राथमरी स्कूल ग्राम-सहगांव में 01 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-नंदनी 07 कि.मी. तथा निकटतम रेलवे स्टेशन भिलाई 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 36 कि.मी. है। छटा नाला 80 मीटर एवं शिवनाथ नदी 01 कि.मी. की दूरी पर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय रीगा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. लीज डीड मेसर्स ऊपरल इंडस के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों के लिए 06/12/1981 से 05/12/2001 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज डीड दिनांक 06/12/2001 से 05/12/2021 तथा दिनांक 06/12/2021 से 05/12/2031 तक की अवधि हेतु गवीनीकृत है।
7. जिओलॉजिकल रिजर्व 12,10,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,10,000 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.69 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कारर सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान एवं अंतिम गहराई 32 मीटर है। अर्थात् वर्तमान में खनन साइड बेंच में किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 03 मीटर एवं चौड़ाई 06 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लारिंग किया जाता है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 05 किलो लीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। जल का स्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2011-12	2,480
2012-13	3,800

2013-14	9,400
2014-15	7,020
2015-16	160
2016-17	1,500
2017-18	-

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना	
वर्ष	उत्खनन क्षमता (टन)
2017-18	10,230
2018-19	13,250
2019-20	15,100
2020-21	16,700
2021-22	16,732
कुल	72,012

नोट: तालिका में वशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्फॉर्मेशन इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ईआईए रिपोर्ट का विश्लेषण:

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिदोशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एंग.₂₅ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एंग.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एस्ओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ₂ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल सत्रांतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एंग. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तापक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त रागरत सुरांगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तापक को तदानुसार सूचित किया जाए।

22. मेसर्स श्रीमती शालिनी सिंह (बोरसी सेण्ड माईन, ग्राम-बोरसी, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी), अग्रोहा सोसायटी, सेक्टर-2, रायपुरा तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 1069)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 132321/2019, दिनांक 19/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संवाहित रेत खदान (नौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-बोरसी, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है; खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता:-99,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तापित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड गैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में अर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड गैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तापित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अधतः फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

23. मेसर्स बी.एल. रामानी लाईम स्टोन माईन, ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 542)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 61454 / 2018, दिनांक 31/12/2016 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48662 / 2018, दिनांक 19/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खरारा नं 420, 421, 422, 438, 439, 440, 441 एवं 459, ग्राम नंदनी खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 3.525 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 9,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 241वीं बैठक दिनांक 25/11/2017 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत नंदनी खुंदनी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोटरी कराया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. गॉल्टिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव गाइन ब्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उच्च खान नियंत्रक एवं प्रभासी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक दुर्ग / वूप / खयो-286 / नाग / 2016 / 30-रायपुर दिनांक 10/08/2016 (अवधि 2016-17 से 2018-19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के पत्र क्रमांक 596 दिनांक 27/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 12 खदानें एकत्र 63.61 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम-नंदनी-खुंदनी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-नंदनी-खुंदनी में स्थित है। राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. है; शिवनाथ नदी 1.0 कि.मी. है।

- 5 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
6. लीज डीड की जानकारी:- लीज डीड श्री बी.एल. रामानी के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 27/06/1994 से 26/06/2014 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के पत्र क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग, दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिजपट्टा अपधि पृष्ठि बाधत जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. जिथोलॉजिकल रिजर्व 10,70,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,72,300 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। भू-भाग के 17,200 वर्गमीटर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 12 मीटर है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। खदान की संभावित आयु 40 वर्ष है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 675 घनमीटर है। क्रशिंग युनिट 0.125 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। क्रशर एवं आंतरिक मार्ग पर डस्ट सप्रेसन हेतु वाटर स्प्रे किया जाता है। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3.0 मीटर है। 10 किली./दिन जल की खपत होती है। जल की आपूर्ति ट्यूबवेल से की जाती है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

विगत 05 वर्षों में उत्खनन की वर्षवार मात्रा

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2013-2014	27,000	14,180
2014-2015	27,000	11,684
2015-2016	-	निल
2016-2017	9,000	निल
कुल	63,000	26,124

उत्खनन की योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2014-2015		वास्तविक		11,684
2015-2016		वास्तविक		निल
2016-2017	1,200	3.0	3,600	9,000
2017-2018	1,200	3.0	3,600	9,000
2018-2019	1,200	3.0	3,600	9,000

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2018 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पैक्ट अरोरागेट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठक का विवरण --

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1 ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्या सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफरा) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

24. मेसर्स श्री भगताराम साहू (नंदनी-खुंदनी लाईम स्टोन माईनिंग), ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 539)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 61378 / 2016, दिनांक 28/12/2016 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48677 / 2016, दिनांक 19/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय रवीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित वूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसारा नं. 1892, 1893 एवं 1896, ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 0.955 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 2,100 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 245वीं बैठक दिनांक 18/01/2018 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:

1. ग्राम पंचायत नंदनी-खुंदनी का दिनांक 20/10/2014 को जारी अनाजित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएनएल-431/ नागपुर, दिनांक 16/06/1995 के द्वारा 2.70 एकड़ हेतु अनुमोदित है। मॉडिफिकेशन इन माईनिंग प्लान एलॉगविथ प्रोप्रेसिव माइन क्लोजर प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएलडी-431/ एनजीपी-2015 दिनांक 23/03/2016 (अवधि 2015-16 से 29/10/2018 तक हेतु) द्वारा लीज क्षेत्र में कमी अर्थात् 2.36 एकड़ (0.955 हेक्टेयर) हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के पत्र क्रमांक 1969 दिनांक 30/12/2016 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 09 खदानें रकबा 30.75 हेक्टेयर स्वीकृत/विद्यमान हैं।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी-

1. समीपस्थ आबादी ग्राम-नंदनी-खुंदनी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम नंदनी-खुंदनी 1.5 कि.मी., अस्पताल ग्राम-नंदनी नगर 3.0 कि.मी. एवं मंदिर बेरला 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7.0 कि.मी. है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवमिपिधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा बताया गया है।
3. लीज डीड श्री मंगल राम साहू के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 30/10/1998 से 29/10/2018 तक की अवधि हेतु है।
4. जियोलॉजिकल रिजर्व 1,76,428 टन एवं माईनेबल रिजर्व 19,838 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कार्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। आवेदन अनुसार उत्खनन की अधिकतम गहराई 15 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3.0 मीटर होगी। उपरी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर एवं अनुमानित मात्रा 468.91 घनमीटर है। गू-गांग के 6,190 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन होना बताया गया है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 5.5 किली/दिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्रेसन 02 किली./दिन, फ्लॉटेशन 02 किली./दिन एवं धरतु उपयोग हेतु 1.5 किली./दिन) है, जिसका स्रोत बोरवेल है। गार्लेज ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वृक्षारोपण किया गया है। मॉडिफाईड माईनिंग प्लान के अनुसार वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

उत्खनन की योजना

वर्ष	उत्खनन क्षमता (टन)
1999-2000	1,450
2000-2001	480
2001-2002	1,210
2002-2003	50
2003-2004	
2004-2005	
2005-2006	
2006-2007	
2007-2008	निल
2008-2009	
2009-2010	
2010-2011	
2011-2012	
2012-2013	6,484
2013-2014	निल
कुल	9,674

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2015-2016	406.03	2.0	812	2,030
2016-2017	406.24	2.0	812	2,031
2017-2018	408.60	2.0	817	2,043
2018-2019	419.12	2.0	838	2,096
कुल	-	-	3,280	8,200

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2018 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्फॉयरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्फॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर रातही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुरार पी.एम._{2.5} 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ₂ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुरार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिऐ जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

25. मेसर्स श्री अभिनव तिवारी (ईरा सेण्ड माईन, ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव), ग्राम-सोमनी, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1039)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 127006/2019, दिनांक 29/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खरारा क्रमांक 688, कुल लीज क्षेत्र 4.85 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत

- किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
 3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
 5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
 6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

26. मेसर्स श्री उदय कुमार शर्मा (जजगा सेण्ड माईन, ग्राम—जजगा, तहसील—उदयपुर, जिला—सरगुजा), परसागुडी, राजपुर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1072)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 132719/2019, दिनांक 20/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम—जजगा, तहसील—उदयपुर, जिला—सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 1456, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर प्रस्तावित है। उत्खनन रेंड (रिहर) नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—81,430 धनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें: टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्ण से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करण कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

27. मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (बदुराबहार ऑर्डनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी(1)), ग्राम-बदुराबहार, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1071)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 132301/2019, दिनांक 20/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बदुराबहार, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 999/2,

999/4, 1030/5, कुल क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-58,647.68 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदन में खसरा क्रमांक 999/2, 999/4, 1030/5 का उल्लेख है। भूमि उपयोग (उत्खनन कार्य) हेतु प्रस्तुत अनुबंध पत्र में खसरा क्रमांक 999/4 का उल्लेख नहीं है। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त मामलत सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

28. मेसर्स श्री आर. आंद्रयू मनीराज (पीपरछेड़ी सेण्ड माईन ग्राम-पीपरछेड़ी, तहसील व जिला-दुर्ग), एच.एस.सी.एल. कॉलोनी, सेक्टर-6, भिलाई, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1031)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एगआईएन/ 127131/2019, दिनांक 24/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से जापन दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-पीपरछेड़ी, तहसील व जिला-दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 502, कुल लीज क्षेत्र 4.856 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में

टेम्पलरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की गोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निधोरण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलरा (Levels; लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

29. मेसर्स श्री अरविंद कुमार अग्रवाल (कोनारी सेण्ड माईन, ग्राम—कोनारी, तहसील व जिला—दुर्ग), बेरला रोड, अहिवारा, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1033)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 127359 / 2019. दिनांक 25 / 11 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05 / 12 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया; परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20 / 12 / 2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम—कोनारी, तहसील व जिला—दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खरारा क्रमांक 172, कुल लीज क्षेत्र 3.64 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—65,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16 / 01 / 2020:

रामिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एव प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथः विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के फाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अं.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरांगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

30. मेसर्स श्री अरविंद कुमार अग्रवाल (भरदा सेण्ड माईन, ग्राम-भरदा, तहसील व जिला-दुर्ग), बेरला रोड अहिवारा, तहसील-धमघा, जिला- दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1035)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 127571 / 2019, दिनांक 26 / 11 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05 / 12 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने

हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-भरवा, तहसील व जिला दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नरती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी ग्राह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए

31. मेसर्स श्री चैतराम नाग (मिनगाचल सेन्ड क्वारी, ग्राम-मिनगाचल, तहसील-भैरमगढ़, जिला-बीजापुर), हॉस्पिटल पास, चीर घर के पास, तहसील व जिला-बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1070)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129899/2019 दिनांक 20/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम मिनगाचल, तहसील-भैरमगढ़, जिला-बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 36, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मिनगाचल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समादात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समादात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफर) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

32. मेसर्स नंदनी-खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्री विरेन्द्र चोपड़ा), ग्राम--नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 735C)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 28526 / 2018, दिनांक 02 / 08 / 2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48795 / 2018 दिनांक 26 / 12 / 2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15 / 01 / 2016 के पूर्व से सवालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1924 / 2, कुल लीज क्षेत्र 4.80 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता -41,000 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15 / 01 / 2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27 / 10 / 2018 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत नंदनी खुंदनी द्वारा दिनांक 24 / 10 / 2005 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लान एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माईन क्लेजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (छ.ग.) के पत्र ज्ञापन डीआरजी / एलएसटी / एमपीएलएन-1109 / नागपुर दिनांक 07 / 02 / 2013 द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2298 दिनांक 28 / 01 / 2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 13 खदानें रकबा 108.48 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम-नंदनी-खुंदनी 400 मीटर एवं शहर अहिवार 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन भिलाई 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम-नंदनी-खुंदनी 1 कि.मी. एवं अस्पताल अहिवार 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शिवनाथ नदी 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यगार्ग 2.5 कि.मी. है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रेटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. लीज डीड श्री विरेन्द्र चोपड़ा के नाम पर है, जो 30 वर्षों के लिए दिनांक 16 / 01 / 2015 से 15 / 01 / 2045 तक की अवधि हेतु है।

7. जियोलॉजिकल रिजर्व 3,41,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,04,000 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन रोगी मेकैनाईज्ड ओपन कार्ट विधि से किया जाता है। खदान की वर्तमान गहराई 5 मीटर एवं अधिकतम गहराई 11 मीटर होगी। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमरड्रिल का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। बैंच की अंतिम (अल्टिमेट) ऊंचाई 3.0 मीटर एवं चौड़ाई 3.0 मीटर होगी। उपरी मिट्टी की गहराई 1.2 मीटर है। जल की मात्रा 10 किलो लीटर प्रतिदिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्लेशन 04 किलो लीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 03 किलो लीटर प्रतिदिन एवं धरेलु उपयोग हेतु किलो लीटर प्रतिदिन) है। जल का स्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2015-16	3,069
2016-17	5,510
अप्रैल 2017 से उत्पादन बंद है।	-

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन क्षमता (टन)
प्रथम वर्ष	-
द्वितीय वर्ष	27,543
तृतीय वर्ष	32,163
चतुर्थ वर्ष	36,746
पंचम वर्ष	41,062
कुल	1,37,514

नोट: तालिका में दशगलब के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

15. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्फॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्फॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर सूक्ष्म जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुरार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

33. मेसर्स श्री बाबूलाल यादव (रामनगर ब्रिक्स अर्थ क्वारी), ग्राम-रामनगर, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1078)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर एसआईए/ सीजी/ एगआईएन/ 133621/2019, दिनांक 26/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्रां-रामनगर, तहसील व जिला सूरजपुर स्थित खदारा क्रमांक 1397, कुल क्षेत्रफल 2.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता 4,905.25 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की पटनीय प्रति एवं अधिशेषित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

34. मेसर्स शिव शक्ति मेटल्स (टाकरागुड़ा लाईम स्टोन माईन), ग्राम-टाकरागुड़ा, तहसील-लोहांडीगुड़ा, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 748)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 25496 / 2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48795 / 2018, दिनांक 26/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित यूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-टाकरागुड़ा, तहसील-लोहांडीगुड़ा, जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 276/1(पार्ट), कुल क्षेत्रफल - 2.42 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 45,200 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उत्खनन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 273वीं बैठक दिनांक 27/03/2019 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत टाकरागुड़ा द्वारा दिनांक 15/06/1999 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफिकेशन इन एप्रूव्ड माईनिंग प्लान विथ प्रोग्रेसिव ग्राइन्ड क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रण, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक बस्तर/ चूप/ खयो-1157 / 2018 / रायपुर दिनांक 12/07/2018 जो वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2277 / खनिज / ख.लि.1 / ख.प. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 20/09/2018 के

अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. वन मंडलाधिकारी, नस्तर वन मंडल, जगदलपुर के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 के अनुसार "आवेदित भूमि वन क्षेत्र कक्ष क्र. पी/1614 सिरिसगुड़ा से 3.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।" होना बताया गया है।
5. समीपस्थ आवादी ग्राम टाकरागुड़ा 0.53 किलोमीटर एवं शहर जगदलपुर 20.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं प्राथमरी मेडिकल ग्राम टाकरागुड़ा 0.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन तोकपाल 14.8 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्यमार्ग 0.74 किलोमीटर है। इन्द्रायती नदी 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
7. लीज डीड मेसर्स शिव शक्ति मेटल्स के नाम पर है, जो 20 वर्षों के लिए दिनांक 17/09/2002 से 16/09/2022 तक की अवधि हेतु है।
8. माईनेबल रिजर्व 4,06,448 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.4 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में उत्खनन की गहराई 8 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। ऊपरी की मिट्टी की गहराई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9.5 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 7.295 किलोलीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति वॉटर टैंकर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में 500 नग वृक्षारोपण किया गया है। पिगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

उत्खनन की वर्षवार योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	Actual उत्खनन (टन)
2013-14	--	--
2014-15	14,940	3,233
2015-16	14,985	14,328
2016-17	14,963	9,328
2017-18	14,985	

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2018-19	45,000
2019-20	45,000
2020-21	45,000

2021-22	45,000
2022-23	45,200

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

9. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति ऊपर स्पष्ट की गई है।

एरा.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हायरोमेंट इम्पैक्ट अरोसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (बिना लोक सुन्वाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2019 से मई 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 27 से 39.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 66.4 से 94.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 10.8 से 14.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ₂ 15.3 से 18.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुरार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48.1 डीबीए से 53.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.1 डीबीए से 35.8 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

35. मेसर्स श्री संदीप सिंह (हरदी सोईल/ऑर्डिनरी क्ले क्वारी), ग्राम-हरदी, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1009)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43908/2019, दिनांक 07/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रोईल/ऑर्डिनरी ब्ले (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम हरदी, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 425, 426, 429, 430, 513/3, 516, 517, 518/1, 518/2, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 एवं 529, कुल क्षेत्रफल-3.708 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,250 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा दिग्गर्ष टिप्पणियों के अंतर्गत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. तीज सीमा से निकलकर वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी ई आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

36. मेसर्स श्री भागचंद जैन (चवेली लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-चवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 972)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42470/2019, दिनांक 13/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 11/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम चवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 401(पी),

402/2(पी), 402/3, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5 एवं 405, कुल क्षेत्रफल- 2.176 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 15,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त रागरत सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

37. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री रितेश जैन), ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 970)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एराआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43866/2019, दिनांक 12/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से जापन दिनांक 11/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसर क्रमांक 116/3, कुल क्षेत्रफल-0.76 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 15,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त रागरत सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

38. मेसर्स श्री लल्लू सोनी (सेमरा सेण्ड माईन), ग्राम-सेमरा, तहसील-ओडगी, जिला-सूरजपुर), वार्ड नंबर 02, ग्राम-सोनारपारा, तहसील-भैयाधान, जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1082)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 133873/2019, दिनांक 27/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है यह खदान ग्राम-सेमरा, तहसील-ओडगी, जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 207, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर प्रस्तावित है। उत्खनन रेंड (रेहर) नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-40,470 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैन में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड गैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही दूषारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

39. मेसर्स श्री पवन राधवा लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1010)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43830/2019, दिनांक 08/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (शौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 23, कुल क्षेत्रफल-0.631 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-18,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

40. मेसर्स दिव्या डाकलिया लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1012)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43969/2017, दिनांक 08/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने

हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 53/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 55/2, कुल क्षेत्रफल -1.663 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-32,156.25 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ एम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उक्त समस्त सुरांगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

41. मेसर्स श्री योगेश डकलिया लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1011)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43975/2017, दिनांक 08/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कभीयों होने से ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 37/3, कुल क्षेत्रफल – 0.404 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 8,172 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
 3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दरतावेज (अद्यतन फोटोग्राम्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

42. मेसर्स हिन्द मल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल एरिया नयनपुर-गिरवरगंज, ग्राम-नयनपुर-गिरवरगंज तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 477)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 49188/ 2019, दिनांक 30/12/2019 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्लॉट नंबर 140-147, 136-165, 173-175 एवं 166-172 औद्योगिक क्षेत्र, नयनपुर-गिरवरगंज तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित कुल प्लॉट एरिया-5.74 एकड़ में कोल वॉशरी क्षमता - 0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष (ड्राई एयर जिग प्रोसेस) की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आवेदन किया गया था।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्लॉट नंबर 140-147, 136-165, 173-175 एवं 166-172 औद्योगिक क्षेत्र, नयनपुर-गिरवरगंज तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित कुल प्लॉट एरिया 5.74 एकड़ में कोल वॉशरी क्षमता - 0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष (ड्राई एयर जिग प्रोसेस) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में Proposed change in Technology from 0.6 MTPA Dry Air Jig Process to 0.6 MTPA Heavy Media Cyclone in the existing Coal washery किये जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत आवेदन प्रेषित किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/01/2017 द्वारा प्लॉट नंबर 140-147, 136-165, 173-175 एवं 166-172 औद्योगिक क्षेत्र, नयनपुर-गिरवरगंज तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित कुल प्लॉट एरिया 5.74 एकड़ में कोल वॉशरी क्षमता - 0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. वॉशरी में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्थाओं की जानकारी तथा परिवर्तन उपरांत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तापित व्यवस्थाओं की जानकारियों-कोल भण्डारण से लेकर वॉशड कोल तक इकाईवार प्रस्तुत की जाए।
3. वॉशरी में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्थाओं की जानकारी तथा परिवर्तन उपरांत औद्योगिक, घरेलू एवं अन्य मर्दों में जल उपभोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा, प्रस्तापित उपचार व्यवस्था एवं उपचारित दूषित जल के उपयोग व्यवस्थाओं की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. प्रस्तापित परिवर्तन उपरांत टोस अपशिष्टों / स्लज की मात्रा एवं अपवहन की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. वर्तमान वॉशरी तथा प्रस्तापित परिवर्तन के लिये पॉल्युशन लोड (जल, वायु, धोरा अपशिष्ट आदि) की गणना सहित जानकारी एवं पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर पडने वाले प्रभाव संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. वर्तमान में स्थापित वॉशरी तथा प्रस्तापित वेट वॉशिंग प्रक्रिया हेतु परिवर्तन संबंधी कार्यकलापों को ले आउट (वृक्षारोपण को दर्शाते हुए) में प्रदर्शित कर प्रस्तुत की जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

43. मेसर्स श्री जितेन्द्र कुमार मण्डल (सरगी सेण्ड माईन, ग्राम-सरगी, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी), वार्ड नं. 11, शांति नगर, सुपेला भिलाई, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1090)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 134772/2020, दिनांक 02/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तापित रेत खदान (गौग खनिज) है यह खदान ग्राम-सरगी, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी स्थित खरारा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4 98 हेक्टेयर में प्रस्तापित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तापित है; खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-99,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तापित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच गार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें. टेम्पररी बेंच गार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में

टेम्प्लेटरी बेच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़ड़ा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए, रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी, पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से रंगचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफर) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

44. मेसर्स श्री द्रोनेश प्रकाश (सिरसिदा सेण्ड माईन, ग्राम-सिरसिदा, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी) भालुकोना, पोस्ट-चरमुड़िया, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1091)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 134283/2019. दिनांक 02/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम सिरसिदा, तहसील कुरुद, जिला-धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 1237, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-96,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण/ उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पार की बंधाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एल.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणोप रवीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणोप रवीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के तालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

45. मेसर्स श्रीमती सुमन जाजोदीया (हरदी सेण्ड माईन, ग्राम-हरदी, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी), साई होमर्स विद्या नगर, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1092)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एराआईए/ सीजी/ एमआईए/ 134274/2019, दिनांक 02/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोष्: खनिज) है। यह खदान ग्राम-हरदी, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 05, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,49,700 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार टिप्पणी उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तापित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में अर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तापित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पवनम्मा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तापित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सगाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सगाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही दूधारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो पिगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

46. मेसर्स श्री शेख जफर (खरेंगा सेण्ड माईन, ग्राम-खरेंगा, तहसील व जिला-धमतरी), रामसागर पारा वार्ड, जिला-धमतरी (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 1067)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ +32036/2019, दिनांक 17/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन

आवेदन नें कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दायित्व जानकारी दिनांक 03/01/2020 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-खरेंगा, तहसील व जिला-धमलही स्थित खसरा क्रमांक 927, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गहानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता:-99,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपर्युक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की गोटाई जागने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु गणनाग भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पार की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघत निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघत निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षाशेषण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.२६ दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

47. मेसर्स श्री अरुण कुमार गुप्ता (लीलर सेण्ड माईन, ग्राम-लीलर, तहसील व जिला-धमतरी), कृदत कॉलोनी, महात्मा गांधी वार्ड गोकुलपुर, तहसील व जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1093)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 134812/2020, दिनांक 03/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-लीलर, तहसील व जिला-धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 02, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की गस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सराह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचगाना भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त सम्बन्धित सारांशित जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

48. मेसर्स श्री सतीश देवता (जवरगांव सेण्ड माईन, ग्राम-जवरगांव, तहसील व जिला-धमतरी), मोहका, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1094)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 134813/2020, दिनांक 03/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-जवरगांव, तहसील व जिला-धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 952, कुल क्षेत्रफल 4.95 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नहानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-99,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की गोलाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर तराकी वारतविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण रक्षाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के अन्तर्गत

में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्ण से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

49. मेसर्स चेवरोक्स कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड (राजपुर सेण्ड स्टोन क्वारी(सी)), ग्राम-राजपुर, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1095) ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 134912/2020, दिनांक 03/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-राजपुर, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 1861, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-86,115.15 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

50. मेसर्स श्री श्यामकुमार सिंह (बालपेट सेण्ड माईन, ग्राम-बालपेट, तहसील-गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा), निवासी नकुलनार, जिला-दन्तेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1098)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 134859/2020, दिनांक 04/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-बालपेट, तहसील गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 599, कुल क्षेत्रफल 3.33 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन डकिंगी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 1,30,680 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्षिक गहराई हेतु बंधनामा भी प्रस्तुत किया जायें।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पट्ट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण रणनीति निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण रणनीति निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संयोजित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में

उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अग्नि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

51. मेसर्स चेवरोक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (राजपुर सेण्ड स्टोन क्वारी(डी)), ग्राम-राजपुर, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1097)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एराआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 134941/2020, दिनांक 04/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-राजपुर, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी स्थित प्लॉट ऑफ खसरा क्रमांक 1861, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-80.291 25 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुरार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी ग्राह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

52. मेसर्स सुरेश कुमार साहू (नमना आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम-नमना, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1098)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 135098/2020, दिनांक 04/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नमना, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 492/2, 493/2, 494, 495, 496, एवं 497, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-9750.38 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह को आयोजित बैठक में उपरोक्त सनस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार रूचित किया जाए।

53. मेसर्स श्री विनय प्रताप सिंह ठाकुर (समलुर सेण्ड माईन, ग्राम-समलुर, तहसील-गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा), शिव पार्क कॉलोनी, अमलेष्वर, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1099)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 135192/2020, दिनांक 04/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोला खनिज) है। यह खदान ग्राम समलुर, तहसील गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा स्थित खरारा क्रमांक 262, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन डकिनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-74,100 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संसाधन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई

हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त सगरत सुरंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

54. मेसर्स रामाराम आर्डिनरी स्टोन क्वारी माईन्स (श्री जी.टी. रामाराव), ग्राम-रामाराम, तहसील व जिला-सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1100)

ऑनलाईन आवेदन -- प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 135213/ 2020, दिनांक 05/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण -- यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-रामाराम, तहसील व जिला-सुकमा स्थित खसरा क्रमांक 134, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तापित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-56,316 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण --

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त सभस्त सुसगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

55. मेसर्स श्री हरमीत सिंग भाटिया (खुर्सीफार लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-खुर्सीफार, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 973)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42479/2019, दिनांक 15/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 11/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खुर्शीपार, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनाथगढ़ स्थित खरारा क्रमांक 67, 70/2, 69 एवं 61/4, कुल क्षेत्रफल-1.145 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-19,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रभाव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

56. मेसर्स श्री निखिल जायसवाल (कवलगिरी सेण्ड माईन, ग्राम-कवलगिरी, तहसील-उदयपुर, जिला-सरगुजा), मदन रोड, पाली, कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1054)

ऑनलाईन आवेदन प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 130753/2019, दिनांक 10/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 08/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम कवलगिरी, तहसील-उदयपुर, जिला-सरगुजा स्थित खरारा क्रमांक प्लॉट ऑफ 574, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर प्रस्तावित है। उत्खनन रेंड (रेहर) नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-80,000 धनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के णट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही दूषारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संयतित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

57. मेसर्स श्री मनिंदर सिंह गरचा (चांदो सेण्ड माईन, ग्राम-चांदो, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव), सहदेव नगर, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1076)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 133378/2019, दिनांक 25/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 02/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-चांदो, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 634, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नरती एवं प्रस्तुत जानकारों का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। तबत लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उमरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनागा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैटक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर: कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

58. मेसर्स श्री मनिंदर सिंह गरचा (देवरी सेण्ड माईन, ग्राम-देवरी, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव), सहदेव नगर, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1077)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 133517/2019, दिनांक 25/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 02/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-देवरी, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 553, कुल लीज क्षेत्र 4.453 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-89,000 धनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में अर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समझावत निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समझावत निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो शिगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

59. मेसर्स श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा (मंदरौद सेण्ड माईन, ग्राम-मंदरौद, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी), बोदरी, तहसील व जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1101)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 135432/2020, दिनांक 07/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है यह खदान ग्राम-मंदरौद, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी स्थित खरारा क्रमांक 1711/1, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरोक्त फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन. दि.नांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

60. मेसर्स श्री उत्तम सिंह (नाहरडीह सेण्ड माईन, ग्राम—नाहरडीह, तहसील—मगरलोड, जिला—धमतरी), राजमवन रोड, सिविल लाईन, शंकर नगर, जिला—रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1102)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 135450/2020, दि.नांक 07/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम—नाहरडीह, तहसील—मगरलोड, जिला—धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 832, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गहानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता -1,27,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़्ढा (Pit) खोकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
 3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
 5. यदि खदान पूर्व से संवाहित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
 6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त रागरत सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

61. मेसर्स श्री विनायक पांडे (बड़ेआमाबाल सेण्ड माईन, ग्राम-बड़ेआमाबाल, तहसील व जिला-बस्तर), दन्तेश्वरी वार्ड जगदलपुर, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1103)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एस्आईए/ सीजी/ एमआईएन/ 135505/2020, दिनांक 07/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-बड़ेआमाबाल, तहसील व जिला-बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1358, कुल लीज क्षेत्र 4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नारंगी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत

किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षाशोषण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्ण से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त सम्बन्धित सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

62. मेसर्स श्री टीकम लाल साहू (कपालफोडी सेण्ड माईन, ग्राम-कपालफोडी, तहसील-गगरलोड, जिला-धमतरी), सेलदीप, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1104)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 135557 / 2020, दिनांक 07 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-कपालफोडी, तहसील-गगरलोड, जिला-धमतरी स्थित खरारा क्रमांक 2190, कुल लीज क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-99,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण रक्षण समिती निर्धारण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण रक्षण समिती निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संभालित है, तो पिगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

63. मेसर्स श्री पार्थ चावड़ा (रेटावण्ड सेण्ड माईन, ग्राम-रेटावण्ड, तहसील व जिला-बस्तर), मोती तालाब पारा, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1105)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 135550 / 2020, दिनांक 07/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-रेटावाण्ड, तहसील व जिला-बस्तर स्थित प्लॉट ऑफ़ रज्जरा क्रमांक 95, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन बोरिया नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आरएल को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जगने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

64. मेसर्स रेंगाकठेरा व्हाइट क्ले क्वारी (प्रो.- श्री महेश कुमार शर्मा), ग्राम-रेंगाकठेरा, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 902ए)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36068/2019, दिनांक 13/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिथी होने से ज्ञापन दिनांक 22/06/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित व्हाईट प्ले (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-रेंगाकटेरा, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 960/2, कुल क्षेत्रफल-0.93 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2.550 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) को स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त सम्स्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3: अनुसार गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री गजानंद सिन्हा (उफरा सेण्ड माईन, ग्राम-उफरा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग), ग्राम-झीट, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1029)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 126887/ 2019, दिनांक 22/11/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-उफरा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1165, कुल तीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन खासून नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं।-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उफरा दिनांक 08/04/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संचालनमलय गौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 9324/खनि02/रेत(खदान)/न.क. 316/2019 तथा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1063/खनिज/ख.लि. 3/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 25/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, बीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 907/खनिज/रेत (रिवर्स बीडिंग)/2019 दुर्ग, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 06 माह हेतु वैध है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा दिहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम-उफरा 2 कि.मी., स्कूल ग्राम-उफरा 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल पटन 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 175 मीटर, न्यूनतम 71 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 40 मीटर दर्शाई गई है।
11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। नदीतट के बायें किनारे में 99 मीटर से 39 मीटर तक एवं बायें किनारे में 25 मीटर से 12 मीटर तक छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की नोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वारतदिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुरागत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धर्मेन्द्र सहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी तथा अन्य जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत उत्खनन स्थल पर वर्तमान में जल भराव होने के कारण अद्यतन सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति निम्नानुसार से निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की नोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वारतदिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वारतदिक गहराई हेतु पंचनाभा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
 4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की दस्तऐविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
 5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री राजकुमार हिरवानी (तरीघाट सेण्ड माईन, ग्राम-तरीघाट, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग), जनता क्वार्टर, पद्मनाभपुर, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1030)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 126882/ 2019, दिनांक 22/11/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-तरीघाट, तहसील पाटन, जिला दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1190, कुल लॉज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन खारून नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तरीघाट दिनांक 07/01/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संचालनालय भूमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 9307/खनि02/रेत(खदान)/न.कं. 317/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1026/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 21/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुरार लकत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, बीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 911/खनिज/रेत(रिवरा बौड़िंग)/2019 दुर्ग, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 8 माह हेतु वैध है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी गाग-नवागांव 0.56 कि.मी., स्कूल ग्राम-नवागांव 0.56 कि.मी. एवं अस्पताल पाटन 6.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राजमार्ग 1.2 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम 184 मीटर, न्यूनतम 148 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - औसत 66 मीटर दर्शाई गई है।
11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित गार्डनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 1,00,000 घनमीटर है। नदीतट के बायें किनारे में 105 मीटर से 60 मीटर तक एवं बायें किनारे में 36 मीटर से 15 मीटर तक छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा उत्सन्न्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था: -

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरांत फोटोग्राफरा सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी दस्तऐवज गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजकुमार हिरवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री-मानसून (Pre-Monsoon) डाटा दिनांक 11/06/2019 की रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्पररी बेंच मार्क का चयन नहीं किया गया है। वर्तमान चयनित टेम्पररी बेंच मार्क का वर्षा एवं अन्य कारणों से परिवर्तित होना संभावित है। अतः जिससे पुनः रेत सतह का लेवलस (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत उत्खनन स्थल पर वर्तमान में जल भरवाव होने के कारण अद्यतन सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनाम भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
 6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली जे ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अधतः फोटोग्राफ्स) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स अछोली फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.- श्री मोहन लाल साहू), ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 951)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 40988 / 2019. दिनांक 07/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 1408 एवं 1280/1, कुल क्षेत्रफल - 0.67 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 377784 टन प्रतिवर्ष (फ्लेग स्टोन उत्पादन 3400.06 टन प्रतिवर्ष एवं स्टोन चिप्स 377.78 टन प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी - परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली दिनांक 25/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** - क्वारी प्लान, इन्डियाशेमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 870-2/ख.लि./तीन-6/2019 रायपुर, दिनांक 15/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण है।
4. **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1074/क/ई-निविदा/ख.लि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 17/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मशरूफ, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आगूत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।**

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल महासमुंद, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/ग.चि/3908 महासमुंद, दिनांक 23/07/2018 को जारी अन-अपत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।
6. एन.ओ.आई, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 805/क/ई-भिविदा/ख.लि./न.क्र.06/2018 महासमुंद, दिनांक 30/05/2019 द्वारा जारी की गई थी।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम-अछोली 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम-अछोली 1 कि.मी., अस्पताल बिरकोनी 6.5 कि.मी. एवं धार्मिक स्थल ग्राम-अछोली 0.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। महानदी 1.5 कि.मी., कोडार नाला 0.26 कि.मी. एवं तालाब 1.15 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 96,480 टन, माईनेबल रिजर्व 34,041 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 27,573 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 11,614 घनमीटर है। ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,753
द्वितीय	2,333
तृतीय	2,578
चतुर्थ	3,084
पंचम	2,624
छठवे	2,041
सातवे	2,624
आठवे	3,208
नौवे	2,974
दसवे	3,400

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.85 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 415 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूरा में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा उत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. एल.ओ.आई. कंधला वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स अच्छोली फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.- श्री विष्णु साहु), ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 952)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/रीजी/एमआईएन/41114/2019, दिनांक 09/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (मैण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित इसका क्रमांक 79/2 एवं 1307 कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता -

6,739.2 टन प्रतिवर्ष (फलेग स्टोन उत्पादन 6,065.28 टन प्रतिवर्ष एवं स्टोन बिप्स 673.92 टन प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फलेग स्टोन (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 25/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप रांचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 873 2/ख.लि-6/2019, रायपुर, दिनांक 15/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1073/क/ई-निदिदा/ख.लि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 17/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोडार नाला 105 मीटर एवं कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 395/क/ई-निदिदा/ख.लि./न.क्र.61/2018 महासमुंद, दिनांक 26/02/2019 द्वारा जारी की गई थी।
6. कार्यालय वनगण्डलाधिकारी, सामान्य वनगण्डल, महारागुंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./3910 महासमुंद, दिनांक 23/07/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण अनुसार आवेदित क्षेत्र वनक्षेत्र से 8 कि.मी. दूर है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम-अछोली 1 कि.मी., स्कूल 1.5 कि.मी., अस्पताल बिरकोनी 6.2 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन 9.5 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.6 कि.मी., राज्यमार्ग 18.7 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,44,000 टन, माईनेबल रिजर्व 69,976 टन एवं रिकॉन्सरेबल रिजर्व 56,681 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 19,917 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
------	----------------------------

प्रथम	5,832
द्वितीय	5,470
तृतीय	4,957
चतुर्थ	5,832
पंचम	5,482
छटवे	5,978
सातवे	5,599
आठवे	6,065
नौवे	5,482
दसवे	5,984

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 480 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की गंभीर एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद्र द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त अनुरक्त सुरांगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के

कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री पवन कुमार दुर्गम (पेदाकोड़ेपाल सेण्ड माईन, ग्राम-पेदाकोड़ेपाल, तहसील व जिला-बीजापुर), डिपो पारा, तहसील व जिला-बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1041)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 128496/2019, दिनांक 01/12/2019 :

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है; यह खदान ग्राम-पेदाकोड़ेपाल, तहसील व जिला-बीजापुर स्थित खरारा क्रमांक 80, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है; उत्खनन मिनगान्दल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पेदाकोड़ेपाल दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतोवाडा के ज्ञापन क्रमांक 1444/खनिज/रेत/2019-20 दंतोवाडा, दिनांक 15/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 775/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 21/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, बीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 760/कले./खनिज/रे.ख./रि.ओ./2019 बीजापुर, दिनांक 16/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम-पेदाकोडेपाल 3.5 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-पेदाकोडेपाल 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.2 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉन्चुटेड एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 1,20,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारों में औसत 10 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2018:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्काल सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वारताविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, गरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने

हेतु निर्देशित किया जाए एवं इरा बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के स्थापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पवन कुमार दुर्गम, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 13/12/2019 को रेत सतह के लेवलस (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्पररी बेंच मार्क का चयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को ग्रिड मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। वर्तमान चयनित टेम्पररी बेंच मार्क का वर्षा एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना संभावित है। अतः जिससे पुनः रेत सतह का लेवलस (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के स्थापन क्रमांक 1019/फले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 28/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, जुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष वांछित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अद्वार दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया: -

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्रामरा सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई को जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण रामाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षासोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वारतविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स चंगोरी ब्रिक्स अर्थ माईन (प्रो.- श्री धनेश राम देशमुख), ग्राम-चंगोरी, तहसील व जिला - दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 828)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एगआईडन/ 34676/2019, दिनांक 13/04/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 09/05/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चंगोरी, तहसील व जिला - दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1117 से 1119, 1122 से 1125 एवं 1135 से 1141, 1148/1 एवं 1150, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता-900 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज मिट्टी उत्खनन खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चंगोरी का दिनांक 28/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 727/खनिलि/खनिज/2018, बालोद दिनांक 28/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 40/ए/खनिलि.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 05/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 1.15 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में 50 मीटर से अधिक पर सारता एवं 100 मीटर में शिवनाथ नदी स्थित है। इसके अतिरिक्त मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, रूनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 193/खनिलि.02/ई-ऑक्शन/2018 दुर्ग, दिनांक 28/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/म.चि./2019/3235 दुर्ग, दिनांक 28/07/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र से लगभग 40 कि.मी. की दूरी है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:

1. फॉर्म-2 के सिन्ड्रो क्रमांक 8 में गार्डनिंग ऑफ ऑर्डिनरी स्टोन माईन क्षमता 900 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में मिट्टी उत्खनन का उल्लेख किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धनेश राम देशमुख, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है। अतः आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने के लिए अनुरोध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण

जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 297वीं बैठक दिनांक 11/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 11/10/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/11/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/12/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ई) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से रागिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स श्री शशिकांत तिवारी (केपी आर्दिनरी स्टोन माईन), ग्राम-केपी, तहसील-लुण्डा, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 929)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40338/2019. दिनांक 31/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित आर्दिनरी स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-केपी, तहसील-लुण्डा, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 537/1, 537/3, 537/4, 537/5, 537/15, 537/16 एवं 537/18, कुल क्षेत्रफल-1423 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 11,700.45 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा आर्दिनरी स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र -** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत केपी का दिनांक 23/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना -** क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 552/खनिज/2019, अंबिकापुर दिनांक 20/05/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान -** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 837/खनिज/ख.लि.4/2019 अंबिकापुर, दिनांक 02/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. **एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 156/ खनिज/ खलि.4/ ई-टेण्डर/ 18 अंबिकापुर, दिनांक 30/01/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।**

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनःपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एंगीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 991 दिनांक 05/11/2019 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि बाबत पत्र प्राप्ति उपरान्त समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 08/11/2019 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं संनसत पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शशिकांत तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/12/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि दस्तावेज के अभाव के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शशिकांत तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक /तक.अधि./3842/अम्बिकापुर, दिनांक 07/06/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.8 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य से 55 कि.मी. की दूरी पर है।
2. एल.ओ.आई. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4888/खनि02/उ.प-अनु.निष्ठा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/09/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि अर्थात् 28/01/2020 तक है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन 2076/खनिज/खलि.3/उ.प./2019 अम्बिकापुर, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, गहर, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है तथा स्कूल भवन लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित है।
4. संशोधित 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2075/खनिज/खलि.2/उ.प./2019 अम्बिकापुर, दिनांक 18/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. संशोधित उत्खनन योजना - रिवाइज्ड क्वारी प्लान, इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 34/खनिज/खलि.3/उत्खनन यो./2019-20 अम्बिकापुर, दिनांक 09/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
6. भूमि आवेदक के नाम पर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित फार्म-01, संशोधित पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं संशोधित ग्री-फिसिबिलिटी रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-3,193.02 टन प्रतिवर्ष है।

8. निकटतम आवादी ग्राम—केपी 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम—केपी 60 मीटर एवं अस्पताल अम्बिकापुर 11.5 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी एवं राज्यमार्ग 9.4 कि.मी. दूर है। गागर नदी 5 कि.मी., मौसमी नाला 0.27 कि.मी. एवं तालाब 0.67 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोर्लॉजिकल रिजर्व लगभग 5,37,894 टन, माईनेबल रिजर्व 31,268 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 28,141 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.19 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन फास्ट सेमी मेकेनाइज्ड मिथि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की गात्रा 1,763 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	2,974
द्वितीय	2,916
तृतीय	2,678
चतुर्थ	2,901
पंचम	3,193
छठे	2,792
सातवें	2,704
आठवें	2,785
नौठे	2,726
दसवें	2,471

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.65 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 384 नग एवं स्कूल की तरफ 1.05 हेक्टेयर (10,541 वर्गमीटर) क्षेत्र में अतिरिक्त 1172 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान के पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. स्कूल की तरफ 1.05 हेक्टेयर (10,541 वर्गमीटर) क्षेत्र छोड़ा जायेगा एवं स्कूल की तरफ से वाहनों का आवागमन नहीं होगा।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा राखेंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अंतिम/नया एपिलिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 17.59	2%	Rs. 0.35	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Barbhata	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.65
			Total	Rs. 0.65

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2075/खनिज/खलि.2/उप./2019 अम्बिकापुर, दिनांक 18/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अदृश्यत अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-केपी) का रकबा 1.423 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से ग्राम-केपी, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा स्थित खरारा क्रमांक 537/1, 537/3, 537/4, 537/5, 537/15, 537/16 एवं 537/18, कुल क्षेत्रफल- 1.423 हेक्टेयर आर्द्विनरी पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-3,193 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशरण की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स मो. अब्दुल गफ्फार मेमन (चिनीरी सेण्ड माईन, ग्राम-चिनीरी, तहसील-चारामा, जिला-उ.ब.कांकेर), ग्राम-सरोना, तहसील-नरहरपुर, जिला-उ.ब.कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 774)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एराआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 94962/2019, दिनांक 03/02/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से झापन दिनांक 27/03/2019 के द्वारा जागरूकी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दक्षिण जानकारी दिनांक 03/04/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान ग्राम-चिनीरी, ग्राम पंचायत चिनीरी, तहसील-चारामा, जिला उ.ब.कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 917, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गहानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में द्वारा रेत खदान खसरा क्रमांक 917, क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर, क्षमता-75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के झापन क्रमांक 4258 दिनांक 17/03/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 1 वर्ष उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी ऑकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की गोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज / अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 280वीं बैठक दिनांक 11/06/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती गीता मण्डावी, सरपंच एवं श्री कतले रिंह शोरी, सचिव, ग्राम पंचायत चिनौरी एवं श्री बी. एल. बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। एकत्रित किए गए आंकड़े सही नहीं हैं। अतः वर्तमान में रेत सतह का लेवलस (Levels) की प्रस्तुत जानकारी को मान्य नहीं किया जा सकता है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.8 मीटर है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के दिनांक 17/03/2016 द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि समाप्त

होने के उपरांत आवेदित खदान को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 30/05/2018 से दिनांक 29/07/2018 तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के दिनांक 17/03/2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 6 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत धुन-भरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाढ़ अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सार्वराम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त 4 बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज एवं अन्य समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ अगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सार्वराम्मति से निर्णय लिया गया कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को अगामी माह की प्रथम बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भरत लाल बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। खनि निरीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि सरपंच एवं रायिव प्रस्तुतीकरण हेतु अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर पोस्ट मानरून में रेत सतह का लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा दिहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे 1 माह में लगाए जाए। साथ ही आगामी बैठक में जगत वृक्षारोपण के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये जायें।
4. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में सभस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल/वृक्षारोपण के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 994 दिनांक 05/11/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया।

वर्तमान में एल.ओ.आई. धारक मो. अब्दुल गफ्फार मेमन (अधिमानी बोलीदार) द्वारा विचाराधीन प्रकरण को हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 15/11/2019 को प्रस्तुत किया गया है। अनुरोध पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज निम्नानुसार है:-

- i. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" के प्रावधानों अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 629/खनिज/ रेत (रिवर्स ऑक्शन)/2019 कांकेर, दिनांक 13/11/2019 द्वारा मो. अब्दुल गफ्फार (अधिमानी बोलीदार) के नाम से एल.ओ.आई. जारी किया गया है।
- ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 646/खनिज/ रेत (रिवर्स ऑक्शन)/2019 कांकेर, दिनांक 15/11/2019 द्वारा द्वारा पर्यावरण अनुमति को मो. अब्दुल गफ्फार मेमन (अधिमानी बोलीदार) के नाम से जारी किए जाने बाबत अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत जारी किया है।

(ई) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. सरपंच, ग्राम पंचायत चिनौरी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को एल.ओ.आई. धारक मो. अब्दुल गफ्फार मेमन (अधिमानी बोलीदार) के नाम से हस्तांतरित किये जाने के अनुरोध को मान्य किया गया।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर पोस्ट मानसून में रेत सतह का लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1000 नग चौड़े - 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करज, बांस, आम आदि) पौधे 1 माह में लगाए जाने की स्थिति फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत किये जाये।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(उ) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.एल. बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 10/12/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि दस्तावेज के अभाव के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ऊ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु मो. अब्दुल गफ्फार मेमन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अधलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः--

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 16/12/2019 को रेत सतह के लेवलस (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्परी बेंच मार्क का चयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को ग्रिड मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। वर्तमान चयनित टेम्परी बेंच मार्क का वर्षा एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना संभावित है। अतः जिससे पुनः रेत सतह का लेवलस (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।


2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नदी तट पर 200 नग पौधे रोपित किये गये हैं। शोध वृक्षारोपण एक माह के भीतर किया जायेगा।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष वांछित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उराकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. माईनिंग प्लान के हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।


(धीरेन्द्र शर्मा)

अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स श्री शशिकांत तिवारी (केपी आर्डिनरी स्टोन माईन)

को खसरा क्रमांक 537/1, 537/3, 537/4, 537/5, 537/15, 537/16 एवं 537/18,
कुल लीज क्षेत्र 1423 हेक्टेयर ग्राम-केपी, तहसील-लुण्डा, जिला-सरगुजा में आर्डिनरी
स्टोन क्वारी (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-3,193 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में
दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1423 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से आर्डिनरी स्टोन क्वारी का अधिकतम उत्खनन 3,193 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के गुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा भूक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सौकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपरा में न गिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापन; इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, धांसपतियों, जोंकों आदि के उत्पात्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी मिमनी / वेंट / पाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर

इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

7. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. लौज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को रिथर (स्टेविलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (फॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (डैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न रिफ्ट लीड क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन मेकनेफली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरना सुनिश्चित किया जाए।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 17.59	2%	Rs. 0.35	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Barbhata	
			Rain Water	Rs. 0.65

		Harvesting System	
		Total	Rs. 0.65

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।
16. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,172 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्ग-दर्शिका के अनुसार किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में कान फरने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
19. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉकर) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
20. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
21. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गैंग खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौंग खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
23. कार्य स्थल पर यदि कैंथिंग श्रमिक कार्ड पर लगये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
24. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
25. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

26. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

28. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के सतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।


30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

31. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

32. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

33. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

34. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
35. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को तन्के क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
36. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के सम्मुख, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुरार, 30 दिन की राग्य अवधि में की जा सकेंगी।


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.